(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1135–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–07–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील वक्स्वाहा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 37/अ–12/2011–12

.....

1–चरन सींग तनय माखनलाल अहीर
2–रूप सींग वल्द बाबूलाल यादव
निवासी ग्राम जोरन, तहसील नौगांव,
जिला छतरपुर म0प्र0

विरूद्ध ..... आवेदकगण

म0प्र0शासन

..... अनावेदक

.....

श्री सुरेन्द्र कुमार भट्ट, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जोरन की भूमि खसरा नम्बर 61/1क रकबा 9.712 हेक्टर वर्ष 1984–85 के खसरे में शासकीय दर्ज थी तथा इस भूमि के रकवा 1.985 हेक्टर पर वर्ष 1984–85 के खसरा के कॉलम नम्बर 12 में चरनसिंह तनय माखनलाल अहीर का नाम अतिक्रामक के रूप में दर्ज था । चरनसिंह ने म0प्र0ग्रामों में की दखिल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के नियम 3 के अन्तर्गत उक्त भूमि के व्यवस्थापन हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगॉव के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार नौगॉव ने आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु प्रारूप 'ख' में इश्तहार का प्रकाशन कराया । पटवारी से प्रतिवेदन मय पंचनामे के प्राप्त

किया तथा प्रश्नाधीन भूमि को अपने आलोच्य आदेश दिनांक 3–11–1990 द्वारा आवेदक के नाम व्यवस्थापित करने का आदेश दिया । उसके पश्चात् इस प्रकरण का परीक्षण अधीनक्षक भू–अभिलेख स्तर पर किया जाकर दिनांक 16–1–13 को आगामी कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर जिला छतरपुर न्यायालय को भेजा गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्व0प्रेरणा से निगरानी में लेकर प्रकरण कमांक 116/स्व0प्रे0नि0/अ–19(4)/12–13 पर दर्ज कर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 7–2–14 से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–11–90 निरस्त करते हुये तहसीलदार को आदेश दिया कि भूमि को पूर्ववत् राजस्व रिकार्ड में शासकीय दर्ज करें । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–2–14 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदकगण को विवादित भूमि करीब 23 वर्ष पूर्व व्यवस्थापित की गई थी उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय किये गये थे इस कारण आवेदक द्वारा जो बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर भूमि विक्रय की है वह सही की है और अधीनस्थ न्यायालय को भूमि के विक्रय पत्र को शून्य एवं व्यर्थ घोषित करने का कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 7–2–14 की कंडिका के अंत में उल्लेख किया है कि प्रकरण बहस में नियत होने के बाद आवेदकगण अनुपस्थित हो गये इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रकरण में आवेदकगण की ओर से कारण बताओं नोटिस का जबाव प्रस्तुत होने के बाद एवं प्रकरण में अंतिम बहस होने के बाद प्रकरण आदेश के लिये नियत किया जाता है और ऐसी स्थिति में यदि आवेदकगण उपस्थित नहीं होते तो प्रकरण में आदेश पारित करने का कार्य न्यायालय का होता है ऐसी स्थिति में आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायलय ने आदेश की कंडिका 3 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि आवेदक ने भूमि विक्रय करने के पूर्व संहिता की धारा 165(7ख) के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर की अनुमति प्राप्त नहीं की है । अनुमति प्राप्त किये बिना शासन द्वारा प्रदत्त भूमि का विक्रय किया गया है वह व्यर्थ एवं शून्य है और ऐसे विक्रय के आधार पर क्रेता को प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व प्राप्त नहीं होता है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय को यह

देखना चाहिये था कि आवेदक को 23 वर्ष पूर्व भूमि का व्यवस्थापन किया गया है और उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये हैं ऐसी स्थिति में ओवदक को बिना अनुमति के भूमि विक्रय करने की अनुमति का अधिकार था और उसके द्वारा किया गया विक्रय न्यायोचित एवं विधिक प्रकिया के अनुरूप मान्य करना चाहिये था ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल ग्वालियर के द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांतों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि होकर पटटे पर प्राप्त हुई थी । आवेदकगण ने यह भी माना है कि उन्होंने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूमि का विक्रय किया है । उक्त कार्यवाही को वैधानिक दर्शाने के लिये उनके द्वारा कोई वैधानिक बिन्दु/आधार उपलब्ध नहीं कराये गये हैं । स्पष्ट है कि शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर